[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 30th November, 2009]

हरियाणा सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 नवम्बर, 2009

संख्या 40/15/2009-4टी०ई०.—वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, अधिनियम, 2009 (2009 का 21), की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, प्रथम दिसम्बर, 2009 को ऐसी तिथि के रूप में नियत करते हैं, जिसको उक्त अधिनियम लागू होगा।

पी० के० गुप्ता,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
तकनीकी शिक्षा विभाग।

46570—C.S.—H.G.P., Chd.

भाग I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 2010

संख्या लैज० 29/2009.— वाई०एम०सी०ए० यूनिवर्सिटी ऑफ साइअन्स ऐन्ड टे' कनॉलॉजि फरीदाबाद ऐक्ट, 2009, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 15 जनवरी, 2010, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2009 का हरियाणा अधिनियम संख्या 21

वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद

अधिनियम, 2009

विज्ञान, इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन अध्ययनों, गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोतों तथा पर्यावरण–संबंधी अध्ययनों के नये सीमांतों पर फोकस सहित उच्चतर शिक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा बढ़ावा देने के लिए, तथा इन क्षेत्रों तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्कृष्ठता भी प्राप्त करने के लिए वाई०एम०सी०ए० इंजीनियरिंग संस्थान को अग्रणी अध्यापन–एवं–सम्बद्ध विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. (1) यह अधिनियम वाई०एम०सी०ए० विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद अधिनियम, 2009, कहा जा सकता है । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ।

(2) यह ऐसी तिथि से लागू होगा जिसे सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. इस अधिनियम में तथा इसके अधीन बनाये गये सभी परिनियमों, अध्यादशों तथा विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, – परिभाषाएं ।

(क) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" से अभिप्राय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ;

(ख) "महाविद्यालय" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित, कोई महाविद्यालय ;

(ग) "वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार का अभिकरण, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ;

(घ) "विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग" से अभिप्राय है, केन्द्रीय सरकार का विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ;

(ङ) "कर्मचारी" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति और इसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा सभी अन्य कर्मचारी सम्मिलित हैं ;

(च) "फीस" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से संगृहीत फीस चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो प्रत्यपर्णीय नहीं है;

(छ) "सरकार" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(ज) "संस्था" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित, महाविद्यालय न होते हुए भी, कोई शैक्षणिक संस्था ;

(झ) "क्षेत्रीय केन्द्र" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित, कोई क्षेत्रीय केन्द्र ;

(ञ) "प्रधानाचार्य" से अभिप्राय है, किसी महाविद्यालय का अध्यक्ष, और इसमें शामिल है, जब कोई प्रधानाचार्य न हो, तो इस रूप में यथा-विधि नियुक्त कोई उप-प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य या उप-प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय यथा-विधि नियुक्त व्यक्ति ;

(ट) "मान्यताप्राप्त अध्यापक" से अभिप्राय है, ऐसे व्यक्ति जो किसी महाविद्यालय, संस्था या क्षेत्रीय केन्द्र में शिक्षा देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किए गये हैं;

(ठ) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(ड) "परिनियमों", "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम;

(ढ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन यथा निगमित वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद;

(ण) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्राय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 3), की धारा 4 के अधीन स्थापित आयोग;

(त) "विश्वविद्यालय अध्यापक" से अभिप्राय है, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक

तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में या किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षा देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किये जाएं और जो अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किये जायें।

निगमन।

3. (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति तथा कुलपति तथा कोर्ट, कार्य परिषद् तथा शिक्षा परिषद् के सदस्यों और सभी ऐसे व्यक्तियों से, जो इसके बाद, ऐसे अधिकारी अथवा सदस्यों के रूप में हो सकते हैं या नियुक्त किये जा सकते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता पर बने रहते हैं, से मिलकर वाई0एम0सी0ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के नाम से निगमित निकाय बना रहेगा ।

(2) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुहर होगी और उसे सम्पत्ति अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी ; और वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा या चलाया जा सकेगा ।

अप्राधिकृत संस्थाओं द्वारा उपाधियों, उपाधि–पत्रों या प्रमाण–पत्रों के प्रदान किये जाने, अनुदत्त किये जाने या जारी किये जाने पर वर्जन ।

4. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय से भिन्न कोई भी महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र या संस्था, विश्वविद्यालय द्वारा उसको सौंपे गए ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में कोई उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रदान, अनुदत्त या जारी नहीं करेगा या स्वयं को ऐसी कोई उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र प्रदान, अनुदत्त या जारी करने के लिये अधिकार प्रकट नहीं करेगा, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान, अनुदत्त या जारी की गई किसी उपाधि, उपाधि–पत्र या प्रमाण–पत्र के समरूप हो या उसकी मिलती–जुलती नकल का हो।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्ध का उल्लंघन अपराध होगा और विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में अधिकथित नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों तथा शैक्षणिक निकायों जैसे कि राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा मार्गदर्शनों के दृष्टिगत, निपटाया जाएगा ।

(3) जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो, वहां अपराध किये जाने के समय, संस्था अपने कार्य के संचालन के लिये संस्था का कार्यभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, अपराध का दोषी समझा जायेगा और विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का दायी होगा ।

(4) उप–धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी संस्था द्वारा किया गया हो तथा यह प्रमाणित हो जाये कि अपराध संस्था के किसी भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकुलता से किया गया है, अथवा अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसा भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा तथा उसके अनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का दायी होगा ।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजन के लिये ''संस्था'' से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यष्टि संगम भी शामिल है।

विश्वविद्यालय की शक्तियां तथा कृत्य ।

5. विश्वविद्यालय निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) उच्चतर शिक्षा जिसमें इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण–संबंधी अध्ययन, गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत तथा प्रबन्ध अध्ययन के नए सीमान्त शामिल हैं, के उभरते हुए क्षेत्रों में अध्ययन तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उन्नत करने तथा इन क्षेत्रों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ठता भी प्राप्त करना ;

(ख) परिनियमों, अध्यादशों या विनियमों में यथा अधिकथित इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, पर्यावरण–संबंधी अध्ययन, गैर–परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों तथा प्रबन्धन अध्ययन सहित उच्चतर शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के कार्य क्षेत्रों में परीक्षायें लेना तथा व्यक्तियों को उपाधि,उपाधि–पत्र तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां अथवा मनोपादियां देना;

(ग) परिनियमों में अधिकथित रीति में अनुमोदित व्यक्तियों को सम्मानिक उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना ;

(घ) पुरस्कार, पदक, अनुसंधान, अध्ययन–वृत्तियां, प्रदर्शनी तथा अध्येता–वृत्तियां संस्थित करना ;

(ङ) सरकार से उपहार, दान या धर्मदान प्राप्त करना तथा अंतरकों, दाताओं, या वसीयतकर्ताओं जैसी भी स्थिति हो, से चल या अचल सम्पति के उपहार, दान या अन्तरण प्राप्त करना, और विश्वविद्यालय के कल्याण के लिये इस प्रकार प्राप्त दानों से ऐसी संग्रह निधि का सृजन करना ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित प्रधानाचार्य–पद, आचार्य–पद, उपाचार्य–पद, प्राध्यापक–पद संस्थित करना, और किसी प्रकार के अन्य पद सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(छ) भारत तथा विदेश में, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के समान उद्देश्यों वाली शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य संस्थानों को ऐसी रीति में सहयोग देना जो उनके सामूहिक लक्ष्यों में सहायक हों ;

(ज) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य न हों, पत्राचार तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा देने की व्यवस्था करना, जो वह अवधारित करे ;

(झ) सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिये धन उधार लेना ;

(ञ) विश्वविद्यालय तथा उसके क्षेत्रीय केन्द्रों के विद्यार्थियों के निवास, आचरण तथा अनुशासन का पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा नियमन करना ;

(ट) विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए, कोई चल अथवा अचल सम्पत्ति जिसमें न्यास तथा विन्यास सम्पत्तियां शामिल हैं, को अर्जित करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, पट्टे पर देना या निपटान करना;

(ठ) अल्प तथा दीर्घकालिक दोनों आधारों पर, विषयों, विषेश अध्ययन क्षेत्रों, शिक्षा स्तरों तथा तकनीकी मानव शक्ति के प्रशिक्षण के अनुसार राज्य तथा देश की जरूरतों का मूल्यांकन तथा उन जरूरतों को पूरा करने के लिये आवश्यक कार्यक्रम आरम्भ करना ;

(ड) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन तथा विज्ञानों में प्रवृत्तियों के गहन ज्ञान पर आधारित उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान कार्यक्रमों को आयोजित करना ताकि ऐसे लोगों का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित किया जा सके जो केवल आधुनिकतम ही नहीं हैं, अपितु मार्गदर्शन करने में भी समर्थ होंगे;

(ढ) अनुसंधान, रूपांकन (डिजाईन) तथा विकास क्रियाकलापों को उन्नत करना जो सामाजिक जरूरतों तथा राज्य के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्ध रखते हों ;

(ण) पूरक सुविधाएं देने के लिये उद्योगों तथा सरकारी नियोजकों का सहयोग प्राप्त करने के लिये कार्यवाही प्रारंभ करना ;

(त) ज्ञान देने, प्रशिक्षण का प्रबंध करने तथा पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्रियों को तैयार करने में निरन्तर प्रयोग की व्यवस्था करना ;

(थ) शिक्षात्मक उपायों में विषयक के निरन्तर मूल्यांकन तथा पुनः अनुकूलन के उत्तरोतर प्रवेश के लिये प्रबन्ध करना ;

(द) अपने विद्यार्थियों में उद्यम सम्बन्धी योग्यताओं को बढ़ावा देना;

(ध) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन तथा विज्ञानों के व्यवसाय की अपेक्षा तथा अवसरों में समाज के प्रति उसके उत्तरदायित्वों तथा सेवाओं के सम्बन्ध में जनता को शिक्षित करना;

(न) विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र में शिक्षा देने के लिए व्यक्तियों का अनुमोदन करना ;

विश्वविद्यालय का सभी मूलवंशों, वर्गों, जातियों तथा पंथों के लिये खुला होना।

6. विश्वविद्यालय लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति अथवा वर्ग को विचार में लाये बिना सभी व्यक्तियों के लिये खुला होगा तथा सदस्यों, विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मकारों को प्रविष्ट अथवा नियुक्त करने में अथवा किसी अन्य सम्बन्ध में, चाहे जो भी हो, धर्म, विश्वास अथवा वृत्ति के बारे में, कोई परीक्षा थोपी नहीं जायेगी या शर्त लगाई नहीं जायेगी और ऐसा कोई भी धर्मदान स्वीकार नहीं किया जायेगा जिसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की राय में, इस उपबन्ध के भाव तथा उद्देश्यों के विरुद्ध शर्तें अथवा बाध्यतायें आती हों :

परन्तु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात विश्वविद्यालयों को समाज के कमजोर वर्गों और विशेष रूप में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों के बारे में कोई विशेष उपबन्ध करने से रोकने वाली नहीं समझी जायेगी।

विश्वविद्यालय का शिक्षण।

7. विश्वविद्यालय में सारा शिक्षण, विश्वविद्यालय द्वारा तथा उसके नाम से इस निमित्त बनाए गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुसार चलाया जायेगा ।

अधिकारी।

8. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :–

(i) कुलाधिपति;

(ii) कुलपति;

(iii) वित्त नियंत्रक;

(iv) संस्था का अध्यक्ष;

(v) कुल–सचिव; और

(vi) विश्वविद्यालय की सेवा में ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में घोषित किये जायें।

कुलाधिपति।

9. (1) हरियाणा का राज्यपाल अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा।

(2) कुलाधिपति विश्वविद्यालय का अध्यक्ष होगा।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, उपाधियां प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह तथा कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(4) कुलाधिपति को निम्नलिखित अधिकार होंगे –

(i) ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, द्वारा विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों का तथा किसी महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र या संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं, किये गए अध्यापन तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण करवाना ;

(ii) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्र या संस्थाओं के वित्त प्रबंध से सम्बन्धित किसी मामले के बारे में वैसी ही रीति में जांच करवाना।

(5) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, कराये जाने वाले निरीक्षण या जांच के अपने आशय का विश्वविद्यालय को नोटिस देगा और ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर, विश्वविद्यालय को कुलाधिपति को ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, कुलाधिपति ऐसा निरीक्षण या जांच करवा सकता है जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट है।

(7) जहां कुलाधिपति द्वारा कोई निरीक्षण या जांच करवाई गई हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई किये जाने का अधिकार होगा।

(8) कुलाधिपति, यदि विश्वविद्यालय के बारे में निरीक्षण या जांच की जाती है, ऐसे निरीक्षण या जांच के निष्कर्ष के प्रतिनिदेश से, कुलपति को सम्बोधित करेगा, और कुलपति, कुलाधिपति के दृष्टिकोण तथा कुलाधिपति द्वारा दिये गये परामर्श के अनुसार उस पर की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सूचित करेगा।

(9) कार्य परिषद्, कुलाधिपति को कुल–सचिव के माध्यम से, ऐसी कार्रवाई यदि कोई हो, के बारे में, जो ऐसे निरीक्षण या जांच के फलस्वरूप प्रस्तावित करती है या कर चुकी है, संसूचित करेगी।

(10) जहां कार्य परिषद्, युक्तियुक्त समय के भीतर, कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करती है, वहां कुलाधिपति, कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गए किसी स्पष्टीकरण या दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जो वह ठीक समझे, और कार्य परिषद् ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को रद्द कर सकता है, जो इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादशों या विनियमों के अनुरूप न हो:

परन्तु कोई ऐसा आदेश करने से पहले, वह विश्वविद्यालय से कारण बताने की अपेक्षा कर सकता है कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाये, और यदि युक्तियुक्त समय के भीतर कोई कारण बता दिया जाये तो उस पर विचार करेगा।

(12) कुलाधिपति, किसी भी समय, विश्वविद्यालय से इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा कर सकता है या निर्देश दे सकता है।

(13) उपधारा (11) तथा (12) के अधीन कुलाधिपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां, किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जायेंगी।

(14) विश्वविद्यालय का कोई कर्मचारी, जो कार्य परिषद् या कुलपति के निर्णय से उसके विरुद्ध की गई किसी अनुशासनिक कार्यवाही के बारे में व्यथित हो, कुलाधिपति को ज्ञापन ऐसी रीति में सम्बोधित कर सकता है जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, और कुलाधिपति का निर्णय अन्तिम होगा।

(15) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

कुलपति। **10.** (1) सरकार, कुलाधिपति के एक नामजद व्यक्ति तथा कार्य परिषद् के दो नामजद व्यक्तियों को मिलाकर एक चयन समिति गठित करेगी, जो वर्णानुक्रम में कम से कम तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगी, जिसमें से कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, कुलपति नियुक्त करेगा। कुलपति की सेवा के निबन्धन तथा शर्तें सरकार के परामर्श पर, कुलाधिपति द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(2) कुलपति तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा जिसे एक अवधि से अधिक के लिये नवीकृत नहीं किया जा सकता :

परन्तु इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि उसकी अवधि समाप्त नहीं हुई है, वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद नहीं रहेगा ।

(3) कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की जाने वाली कोई जांच करवा सकता है, तथा कुलपति को पद से हटा सकता है, यदि वह, ऐसी जांच पर, ऐसे पद पर प्रत्यक्ष रूप से बने रहने के अयोग्य व्यक्ति पाया जाता है ।

(4) यदि कुलपति बीमारी या किसी अन्य कारण से अपनी अस्थायी अशक्तता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, या कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाये तो कुलाधिपति, कुलपति के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तब तक व्यवस्था करेगा जब तक विद्यमान कुलपति अपना पद पुनः ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो जाता, या जब तक कोई नियमित कुलपति नियुक्त नहीं कर दिया जाता, जैसी भी स्थिति हो।

(5) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी तथा शिक्षा अधिकारी होगा और उसका विश्वविद्यालय के कार्य–कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णयों को लागू करेगा।

(6) कुलपति, यदि उसकी राय हो कि किसी मामले पर तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है, संकाय, विभाग या पद के सृजन अथवा समाप्ति को अन्तर्वलित करने वाले मामले, किसी कर्मचारी की नियुक्ति या उसे हटाने जाने वाले मामले के सिवाय, इस अधिनियम द्वारा या के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग कर सकता है :

परन्तु इस धारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने से पहले कुलपति कारण अभिलिखित करेगा कि मामले में सम्बद्ध प्राधिकरण की बैठक तक इन्तजार क्यों नहीं किया जा सकताः

परन्तु यह और कि यदि सम्बद्ध प्राधिकरण की राय है कि ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामले को कुलाधिपति को निदिष्ट कर सकता है, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी भी व्यक्ति को जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्यवाही से व्यथित है, तिथि जिसको ऐसी कार्रवाई पर निर्णय उसे संसूचित किया जाता है, से एक मास के भीतर कार्य परिषद् के पास प्रतिवेदन करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य–परिषद, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकती है, उपान्तरित कर सकती है या उलट सकती है। कर्मचारी को सूचित किया जायेगा कि कार्रवाई आपात् शक्तियों के अधीन की गई है।

(7) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों अथवा अध्यादशों द्वारा विहित किये जायें।

कुल–सचिव ।

11. (1) कुल–सचिव सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(2) कुल–सचिव, विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह सीधे कुलपति के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा।

अन्य अधिकारी ।

12. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण ।

13. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :–

(i) कोर्ट ;

(ii) कार्य परिषद् ;

(iii) शिक्षा परिषद् ;

(iv) वित्त समिति ;

(v) संकाय ;

(vi) योजना बोर्ड ; और

(vii) ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के रूप में घोषित किये जायें ।

कोर्ट ।

14. (1) कोर्ट का गठन तथा इसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोर्ट की निम्नलिखित शक्तियां तथा कृत्य होंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की मुख्य नीतियों तथा कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार तथा विकास के लिये उपाय सुझाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक बजट तथा वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना ;

(ग) कुलाधिपति को किसी ऐसे मामले के बारे में सलाह देना जो उसे सलाह के लिये निर्दिष्ट किया जाये ; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कार्य परिषद्।

15. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

शिक्षा परिषद्।

16. (1) शिक्षा परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शिक्षा निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की सभी शिक्षा नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।

(2) शिक्षा परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

संकाय।

17. संकायों के गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

वित्त समिति।

18. वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि तथा इसकी शक्तियां तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

योजना बोर्ड।

19. योजना बोर्ड का गठन तथा कृत्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

परिनियम तथा उनका क्षेत्र।

20. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध किये जा सकते हैं; अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों तथा अन्य निकायों जो समय–समय पर गठित किये जायें, का गठन, शक्तियां तथा कृत्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा अधिकारियों का वर्गीकरण, नियुक्ति का ढंग, शक्तियां तथा कर्तव्य ;

(ग) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लाभ के लिय सेवा शर्तें, जिनमें उनके पेंशन या भविष्य निधि या बीमा योजना के लिये उपबन्ध शामिल हैं ;

(घ) सम्मानिक उपाधियां प्रदान करना ;

(ङ) संकायों तथा विभागों की स्थापना तथा समाप्ति ;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, प्रदर्शनियां, पदकों तथा पुरस्कारों को संस्थापित करना ;

(छ) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखना ;

(ज) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(झ) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा किये जाने हैं अथवा परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जा सकते हैं।

21. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, वि वविद्यालय के परिनियम वे होंगे, जो अनुसूची में दिए गये हैं : परिनियम ।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले बनाए गये परिनियमों के अधीन गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन उत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन ऊपर निर्दिष्ट अनुसूची में दिये गये परिनियमों के निबन्धनों के अनुसार ऐसे प्राधिकरणों के गठित किये जाने तक, करते रहेंगे।

(2) कार्य परिषद्, इस धारा में, इसके बाद, उपबन्धित रीति में, समय–समय पर, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या परिनियमों का संशोधन अथवा निरसन कर सकती है :

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की हैसियत, शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को तब तक नहीं बनायेगी, संशोधित या निरसित नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो, और इस प्रकार से अभिव्यक्त की गई किसी भी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(3) शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित किसी परिनियम के प्रारूप को कार्य परिषद् के विचार के लिये प्रस्तावित कर सकती है।

(4) प्रत्येक नये परिनियम के या परिनियम में परिवर्धन अथवा परिनियम के किसी संशोधन अथवा निरसन के लिये कुलाधिपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा, जो इसे स्वीकृत, अस्वीकृत कर सकता है अथवा इस पर आगे विचार किये जाने के लिये इसे लौटा सकता है। कार्य परिषद् द्वारा पारित किसी परिनियम को तब तक विधिमान्यता नहीं होगी, जब तक कि इसे कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कुलाधिपति या तो स्वप्रेरणा से या सरकार के परामर्श पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में, कार्य परिषद् को परिनियमों को बनाने, संशोधित करने या निरसित करने का निर्देश दे सकता है और यदि कार्य परिषद्, इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर ऐसे निर्देश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश का अनुपालन करने में कार्य परिषद् द्वारा अपनी अक्षमता के लिये संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के बाद परिनियम उचित रूप से बना सकता है, संशोधित कर सकता है या निरसित कर सकता है।

22. इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिये उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :— अध्यादेश तथा उनका क्षेत्र।

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका इस रूप में नामावली में दर्ज किया जाना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, उपाधि–पत्रों तथा प्रमाणपत्रों के लिये अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की उपाधि अथवा उपाधि–पत्र के पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा तथा ऐसी उपाधियों और उपाधि–पत्रों के लिये पात्र होंगे ;

(घ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिये तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और उपाधि–पत्रों में प्रवेश के लिये ली जाने वाली फीसें; तथा आगे फीस के ढांचे को उत्तरोत्तर इस प्रकार लचीला बनाना कि जहां तक हो सके पाठ्यक्रम स्वतः वित्तपोषित हो सके ;

(ङ) अध्येता–वृत्तियां, छात्र–वृत्तियां, प्रदर्शन, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने की शर्तें ;

(च) परीक्षाओं का संचालन, जिसमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा अनुसीमकों की पदावधि तथा नियुक्ति की रीति तथा कर्तव्य सम्मिलित हैं ;

(छ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों तथा संस्थाओं के छात्रों के निवास की शर्तें ; तथा

(ज) सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा बनाए जाने हैं अथवा जो अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित किये जायें।

अध्यादेश ।

23. (1) अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा बनाये, संशोधित, निरसित अथवा परिवर्धित किये जायेंगे :

परन्तु ऐसा कोई भी अध्यादेश जो–

(i) छात्रों के प्रवेश या उनके नामांकन को अथवा विहित परीक्षाओं को, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के बराबर मान्यता दिये जाने को प्रभावित करने वाला हो ; तथा

(ii) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, ढंग या उनके कर्तव्यों को या परीक्षाओं अथवा किन्ही अध्ययन पाठ्यक्रमों के संचालन या स्तर को प्रभावित करने वाला हो,

तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो।

(2) कार्य परिषद् उप–धारा (1) के अधीन शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को अपने सुझावों सहित या तो पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में, पुनर्विचार के लिये शिक्षा परिषद् को लौटा सकती है :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् द्वारा प्रस्तावित प्रारूप को स्वयं संशोधित नहीं करेगी। तथापि, वह ऐसे प्रारूप को, जब उसे शिक्षा परिषद् द्वारा दूसरी बार प्रस्तुत किया जाये, यदि उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो अस्वीकार कर सकती है।

(3) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश, ऐसी तिथि से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे और बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश कुलाधिपति को यथा शीघ्र, संसूचित किया जायेगा।

24. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बना सकते हैं, जो – विनियम।

(क) उनकी बैठकों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया अधिकथित करें; और

(ख) ऐसे सभी मामलों का उपबन्ध करने के लिए, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के माध्यम से विनियमों द्वारा विहित किये जाने हैं।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तिथियों तथा बैठकों में विचार किये जाने वाले कार्य की सूचना देने के लिये और बैठकों की कार्यवाहियों के अभिलेख रखने के लिये उपबन्ध करने वाले विनियम बनायेगा।

25. विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान बनाये गये विस्तृत कार्यक्रमों,नीतियों तथा वित्त व्यवस्थाओं, परिनियमों तथा अध्यादेशों के संशोधन का विवरण देते हुए, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी और कोर्ट को ऐसी तिथि को या इसके बाद, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, प्रस्तुत की जायेगी और कोर्ट रिपोर्ट पर अपनी वार्षिक बैठक में विचार करेगी। वार्षिक रिपोर्ट।

26. (1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे – निधियां तथा लेखे।

(क) फीसों, अनुदानों, दानों तथा उपहारों से उसकी आय, यदि कोई हो;

(ख) केन्द्रीय सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अथवा सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन ऐसे प्राधिकरण, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान;

(ग) विन्यास तथा अन्य प्राप्तियां।

(2) विश्वविद्यालय की ऐसी अन्य निधियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय की निधियां तथा सभी धन की ऐसी रीति में व्यवस्था की जायेगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(4) सरकार, प्रत्येक वर्ष, अध्ययन तथा अनुसंधान को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए सहायता अनुदान की व्यवस्था कर सकती है।

27. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार तथा पन्द्रह मास से अनधिक अन्तरालों पर निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, हरियाणा या किसी अन्य लेखा–परीक्षक जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये, द्वारा की जायेगी। वार्षिक लेखे, संपरीक्षा हो जाने के बाद, हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे और वार्षिक लेखों की एक प्रति वार्षिक लेखे।

निदेशक, स्थानीय निधि लेखा अथवा लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट सहित, कार्य परिषद् की टिप्पणी के साथ कोर्ट तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी। वार्षिक लेखों पर कुलाधिपति द्वारा की गई कोई टिप्पणी कोर्ट के ध्यान में लाई जायेगी तथा कोर्ट की टिप्पणी, यदि कोई हो, कार्य परिषद् द्वारा विचार किये जाने के बाद, कुलाधिपति को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन–पत्र कुलाधिपति को उनके प्रस्तुतीकरण के समय, सरकार को भी प्रस्तुत किये जायेंगे ।

अधिकारियों तथा अध्यापकों की सेवा शर्तें ।

28. (1) कुलपति के सिवाय, प्रत्येक वैतनिक अधिकारी तथा अध्यापक, एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी तथा विश्वविद्यालय और अधिकारियों या अध्यापकों के बीच संविदा से पैदा होने वाला कोई विवाद सम्बन्धित अध्यापक या अधिकारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती शामिल होगा। अधिकरण के सदस्यों के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा और अधिकरण द्वारा निर्णीत विशयों के सम्बन्ध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं हो सकेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम 26), के अर्थ के भीतर मध्यस्थता के लिये निवेदन समझा जायेगा ।

पेंशन, भविष्य–निधि और बीमा–निधि ।

29. (1) विश्वविद्यालय सरकारी कर्मचारियों की पद्धति पर अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये पेंशन, भविष्य–निधि तथा बीमा–निधि संस्थित करेगा ।

(2) जहां कोई भविष्य–निधि तथा बीमा–निधि इस प्रकार संस्थित की गई है, वहां भविष्य–निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19), के उपबन्ध लागू होंगे ।

रिक्तियों के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

30. इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कोई कार्यवाही केवल निम्नलिखित के आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी–

(क) प्राधिकरण या निकाय के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशन अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि या अनियमितता ; या

(ग) मामले के गुणागुण को प्रभावित न करने वाले ऐसे कार्य या कार्यवाही में किसी त्रुटि या अनियमितता ।

कतिपय विवादों का कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाना ।

31. यदि कोई सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या ऐसा सदस्य बने रहने का हकदार है, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

32. यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की पहली बैठक के सम्बन्ध में या अन्यथा इस अधिनियम के उपबन्धों को पहली बार कार्यरूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, किसी भी समय, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन किये जाने से पहले, आदेश द्वारा, कोई नियुक्ति कर सकती है या ऐसी कोई बात कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से जहां तक हो सके संगत हो जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और प्रत्येक ऐसा आदेश, उसी प्रकार प्रभावी होगा मानो ऐसी नियुक्ति या कार्यवाही इस अधिनियम में उपबंधित रीति में की गई थी ।

अध्यापन और अध्यापनेतर पदों का सृजन ।

33. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई अध्यापन तथा अध्यापनेतर पद सृजित नहीं करेगा या अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं करेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन सरकार को जब कभी आवश्यकता हो विश्वविद्यालय के कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा विकास के लिए अपनी शक्तियां कुलाधिपति या कार्य परिषद् को प्रत्यायोजित कर सकती है।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिये संरक्षण ।

34. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिये आशयित हो, कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी ।

निरसन तथा व्यावृत्ति ।

35. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले वाई0एम0सी0ए0 इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद में निहित सभी चल अथवा अचल सम्पत्तियां तथा उसमें सभी हित चाहे किसी स्वरूप तथा किस्म के हों तथा उसके अधीन चलाये जा रहे पाठ्यक्रम तथा उक्त संस्थान में सृजित तथा भरे गए सभी पद तथा कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सम्पूर्ण अमला विश्वविद्यालय में निहित होगा ।

(2) वाई0 एम0 सी0 ए0 इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद के सम्बन्ध मे उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं तथा दायित्व, की गईं सभी संविदाएं तथा किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी मामले तथा बातें विश्वविद्यालय द्वारा, उसके साथ अथवा उसके लिए उपगत किए गए, की गई अथवा किए जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी ।

अनुसूची

[देखिये धारा 2(ठ) तथा 21]

(वाई0 एम0 सी0 ए0 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के परिनियम)

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य ।

1\. (i) कुलपति, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, उपाधियां प्रदान करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षान्त समारोहों और कोर्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने, और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, वहां पर मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

(ii) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्धों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और वह ऐसी पालना सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

(iii) कुलपति को कोर्ट, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद तथा वित्त समिति और विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय की बैठकें बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

(iv) कुलपति, विश्वविद्यालय के मामलों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के निर्णयों को कार्यरूप देगा ।

(v) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों या निकायों में नामनिर्देशन के लिये ज्येष्ठता के बारे में कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

कुल–सचिव।

2\. (i) कुल–सचिव, कार्य परिषद् तथा संकायों का पदेन सचिव होगा किन्तु इन प्राधिकरणों में से किसी का भी सदस्य नहीं समझा जायेगा, और वह वित्त समिति, कोर्ट और शिक्षा परिषद का पदेन सदस्य–सचिव होगा ।

(ii) जब कुल–सचिव का पद रिक्त हो जाता है या कुल–सचिव बीमारी के कारण, अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक सरकार के परामर्श पर कुलाधिपति द्वारा नियमित नियुक्ति नहीं की जाये, पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये अस्थाई तौर पर नियुक्त करे।

(iii) कुल–सचिव का कर्तव्य होगा कि वह --

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य सम्पत्ति, जो कुलपति उसके प्रभार में सौंपे, का अभिरक्षक होगा ;

(ख) कोर्ट, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की बैठकें बुलाने के सभी नोटिस जारी करे ;

(ग) कोर्ट, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद्, संकायों और विश्वविद्यालय के

प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखे ;

(घ) कोर्ट, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा संकायों के शासकीय पत्र व्यवहार का संचालन करे ;

(ङ) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त की प्रतियां, उनके जारी होते ही यथाशीघ्र भेजे ;

(च) ऐसे अन्य कर्तव्य जो कुलपति द्वारा, समय–समय पर, उसे सौंपे जायें, का पालन करे ।

(iv) कुल–सचिव को विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा शैक्षणिक अमले को छोड़कर, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसे कर्मचारियों को चेतावनी देने या परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करने या वेतनवृद्धियां रोकने की तथा लंबित जांच तक उन्हें निलम्बित करने की शक्ति होगी :

परन्तु तब तक ऐसी कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो।

(v) खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने के लिये कुल–सचिव के किसी आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(vi) यदि जांच से प्रकट होता है कि दण्ड कुल–सचिव की शक्तियों से परे का है, कुल–सचिव जांच के निष्कर्ष पर अपनी सिफारिशों सहित कुलपति को रिपोर्ट करेगा :

परन्तु किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले कुलपति आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी ।

(vii) कुल–सचिव विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा अभिलेख का अधिप्रमाणित करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी होगा और ऐसी हैसियत में कार्य करेगा जब समुचित प्राधिकरण द्वारा मामले में निर्णय ले लिया गया हो। कुल–सचिव ऐसी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें ।

3. (1) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा कुलपति की सिफारिशों पर ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। वित्त नियंत्रक ।

(2) वित्त नियंत्रक वित्त समिति का पदेन सचिव होगा किन्तु ऐसी समिति के सदस्य के रूप में नहीं समझा जायेगा ।

(3) जब वित्त नियंत्रक का पद रिक्त हो जाता है या जब वित्त नियंत्रक बीमारी के कारण अथवा किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे ।

(4) वित्त नियंत्रक —

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा तथा विश्वविद्यालय को इसकी वित्तीय नीतियों के सम्बन्ध में परामर्श देगा; तथा

(ख) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जायें या जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(5) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त नियंत्रक —

(क) न्यास तथा दान की गई सम्पत्ति सहित, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निवेशों को धारण करेगा तथा प्रबन्ध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च वित्त समिति द्वारा वर्ष के लिये नियत सीमा से अधिक न हो तथा सभी धन उसी प्रयोजनार्थ खर्च किया जाए जिनके लिये वह प्रदान अथवा आबंटित किए गए हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा बजट तैयार करने और उन्हें कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकदी तथा बैंक बकायों की स्थिति पर और निवेश की स्थिति पर लगातार नज़र रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नज़र रखेगा तथा अपनाये जाने वाले संग्रहण के ढंग पर परामर्श देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर तथा उपकरणों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित सभी कार्यालयों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं तथा महाविद्यालयों तथा संस्थाओं में उपकरण तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री के स्टॉक निरीक्षण का संचालन किया जाये;

(छ) किसी अनधिकृत खर्च तथा अन्य वित्तीय अनियमिततायें कुलपति के ध्यान में लाएगा तथा उसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव देगा; तथा

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय अथवा संस्था से, जो वह अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिये आवश्यक समझे, कोई सूचना या विवरणी मंगवाएगा ।

(6) विश्वविद्यालय को भुगतान योग्य देय किसी धन के लिए वित्त नियंत्रक अथवा कार्य परिषद् द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की रसीद ऐसे धन के भुगतान के लिये पर्याप्त निस्सारण होगी ।

4. विश्वविद्यालय की सेवा में निम्नलिखित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के अधिकारियों के रूप में भी घोषित किया जाता है, अर्थात् :— विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी ।

(क) संस्था का अध्यक्ष ;

(ख) अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले ;

(ग) कुलानुशासक (प्रॉक्टर) ;

(घ) मुख्य रक्षक (चीफ वार्डन) ;

(ङ) विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष ;

(च) परीक्षा नियंत्रक ;

(छ) पुस्तकाध्यक्ष ; तथा

(ज) विधि अधिकारी ।

5. संस्था का अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले का अध्यक्ष, कुलानुशासक, मुख्य रक्षक तथा विद्यार्थी कल्याण अध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों में से, जो प्राचार्य की पदवी से नीचे के न हों, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, कार्य परिषद् द्वारा की जायेगी जिसकी कुलपति कार्य परिषद् को सिफारिश करें । संस्था का अध्यक्ष, शैक्षणिक मामले का अध्यक्ष कुलानुशासक, मुख्य रक्षक तथा विद्यार्थी कल्याण अध यक्ष ।

6. (1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और स्थापना समिति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो कार्य परिषद् द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। परीक्षा नियंत्रक ।

(2) परीक्षा नियंत्रक के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे —

(क) परीक्षाओं का अनुशासनबद्ध और दक्षतापूर्ण रीति में संचालन करना ;

(ख) गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखते हुए, प्रश्न–पत्र बनवाने की व्यवस्था करना ;

(ग) परीक्षा परिणामों के लिये योजनाबद्ध समय अनुसूची के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिये व्यवस्था करना ;

(घ) निष्पक्षता तथा विषयनिष्ठता के स्तर को बढ़ाने की दृष्टि से परीक्षा प्रणाली का निरन्तर पुनर्विलोकन करना ताकि इसे विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिये बेहतर साधन बनाया जा सके ; तथा

(ङ) परीक्षा प्रणाली से सम्बन्धित कोई अन्य मामला करना, जो कुलपति द्वारा उसे समय–समय पर सौंपा जाये ।

7. पुस्तकाध्यक्ष विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा। पुस्तकाध्यक्ष ।

विधि अधिकारी ।

8. विधि अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति की सिफारिशों पर, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

कोर्ट तथा उसका गठन ।

9. कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

I पदेन सदस्य –

(i) कुलाधिपति ;

(ii) कुलपति ;

(iii) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो सयुंक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(iv) सचिव, हरियाणा सरकार,तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो सयुंक्त सचिव/अपर निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(v) विधि परामर्शी, हरियाणा या उसका नाम निर्देशिती जो उप विधि परामर्शी की पदवी से नीचे का न हो ;

(vi) निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(vii) संकायों के अध्यक्ष;

(viii) कुल–सचिव ;

(ix) परीक्षा नियंत्रक ।

II अन्य सदस्य --

(i) विश्वविद्यालय के आचार्य जो पांच से अधिक न हों, ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(ii) विश्वविद्यालय के उपाचार्यों तथा प्राध्यापकों में से चार अध्यापक जिनमें से कम से कम दो उपाचार्य ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(iii) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उद्योग, वाणिज्य, इंजीनियरिंग इत्यादि में से पांच प्रतिष्ठित परिषत्सदस्य तथा प्रतिनिधि ;

(iv) पुस्तकाध्यक्ष;

(v) विधि अधिकारी ।

III (i) कुल–सचिव कोर्ट का पदेन सदस्य–सचिव होगा ;

(ii) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित हैं, उसके सिवाए पदेन सदस्यों से भिन्न, कोर्ट के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(iii) कोर्ट की सभी बैठकों में, गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ।

10. (1) कोर्ट की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी। कोर्ट की बैठक ।

(2) कोर्ट की विशेष बैठक कुलाधिपति, कुलपति द्वारा अथवा उसके एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित अनुरोध पर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

11. कार्य परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :– कार्य परिषद् तथा उसका गठन ।

I पदेन सदस्य–

(i) कुलपति ;

(ii) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(iii) सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव/अपर निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(iv) निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका कोई नामनिर्देशिती, जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो।

II अन्य सदस्य –

(i) संस्थाओं के अध्यक्ष ;

(ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के तीन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित प्रकिया के अनुसार ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(iii) दो आचार्य (संकायों के अध्यक्षों से भिन्न) ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(iv) उद्योग/वाणिज्य मंडलों/तकनीकी विश्वविद्यालयों/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबन्धन संस्थान/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इत्यादि से प्रख्यात व्यावसायिकों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले छह व्यक्ति ;

(v) विधि अधिकारी ।

III (i) कुल–सचिव कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा ;

(ii) गणपूर्ति दो बटा पांच सदस्यों से होगी ; तथा

(iii) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाए पदेन सदस्यों से भिन्न, कार्य परिषद् के सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ।

12. कार्य परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :– कार्य परिषद् की शक्तियां ।

(क) विश्वविद्यालय के राजस्व, सम्पत्ति तथा निधियों का धारण, नियन्त्रण तथा प्रबन्ध करना;

(ख) अध्यापन तथा शैक्षणिक पद सृजित करना, ऐसे पदों की संख्या तथा परिलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अन्य शैक्षणिक अमले और संस्थाओं के अध्यक्ष के कर्तव्य तथा सेवा शर्तें परिनिश्चित करना :

परन्तु अतिरिक्त वित्तीय दायित्व वाले नए पदों के सृजन के मामले तभी प्रभावी रहेंगे यदि सरकार के नीचे दिये गये प्रतिनिधि–

अर्थात् वित्त सचिव या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि;

अथवा

तकनीकी शिक्षा सचिव अथवा उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि ;

अथवा

तकनीकी शिक्षा निदेशक या उसकी अनुपस्थिति में, उसका प्रतिनिधि, ऐसे निर्णय लेते समय उपस्थित है और ऐसे निर्णय की सहमति दे दी है :

परन्तु यह और कि यदि उचित नोटिस के बाद भी दो लगातार बैठकों में वित्त/तकनीकी शिक्षा विभाग से सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है, तब कार्य परिषद्, पदों के सृजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का अनुमोदन कर सकती है :

परन्तु यह और कि अध्यापकों और शैक्षणिक अमले की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों के बारे में, कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा वित्त समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद कार्रवाई करेगी :

परन्तु यह और कि अध्यापकों और शैक्षणिक अमले की अर्हताओं के बारे में कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् की सिफारिशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बद्ध कानूनी निकायों द्वारा अधिकथित विनियमों पर भी विचार करने के बाद कार्रवाई करेगी ;

(ग) संस्थाओं के आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, अन्य शैक्षणिक अमले तथा अध्यक्षों को इस प्रयोजन के लिये गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर नियुक्त करना और उनमें अस्थायी रिक्तियां भरना ;

(घ) प्रशासनिक, लिपिक–वर्गीय तथा अन्य पद सृजित करना और उनकी परिनियमों द्वारा विहित रीति में नियुक्तियां करना ;

(ड.) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखे, निवेश, सम्पत्ति, कारबार तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता (एजेंट) नियुक्त करना जिन्हें वह ठीक समझे ;

(च) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कोई भी धन, जिसमें ऐसे स्टॉकों, निधियों, हिस्सों या प्रतिभूतियों में, उपयोग में न लाई गई कोई आय भी शामिल है, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझे या

समय–समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन करने की उसी प्रकार की शक्तियों सहित भारत में अचल सम्पत्ति की खरीद में निवेश करना ;

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल तथा अचल सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण स्वीकार करना ;

(ज) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिये भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा उपकरण तथा अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था करना ;

(झ) विश्वविद्यालय के लिये कोई सामान्य मुहर चुनना ;

(ञ) अपनी किन्हीं शक्तियों में से कोई शक्ति कुलपति, कुल–सचिव या विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकरण या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना ;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, फेरबदल करना, उन्हें कार्यान्वित करना, अथवा रद्द करना ;

(ठ) परिनियम बनाना, संशोधित अथवा निरसित करना;

(ड) विद्यार्थियों में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में विनिश्चय करना ;

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा कार्य परिषद को प्रदान की जायें या समनुदेशित किए जाएं;

(ण) विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करना जो अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं हैं।

13. शिक्षा परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :– शिक्षा परिषद् और उसका गठन ।

I पदेन सदस्य –

(i) कुलपति ;

(ii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(iii) संस्थाओं के अध्यक्ष ;

(iv) कुल–सचिव ;

(v) संकायों के अध्यक्ष ;

(vi) वित्त नियंत्रक ;

(vii) संस्थाओं के दो अध्यक्ष , उनकी ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से;

(viii) परीक्षा नियंत्रक ;

(ix) विश्वविद्यालय पुस्तकालय का पुस्तकाध्यक्ष।

II अन्य सदस्य –

(i) प्रत्येक संकाय से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक आचार्य, ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(ii) प्रत्येक संकाय से विश्वविद्यालय का एक उपाचार्य, ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(iii) प्रत्येक संकाय से विश्वविद्यालय का एक प्राध्यापक, ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(iv) विश्वविद्यालय के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले चार प्रतिष्ठित शिक्षाविद:

परन्तु उनमें से एक से अधिक उसी क्षेत्र से नहीं होगा ;

(v) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले उद्योग तथा अनुसंधान से संबंधित मामलों में राज्य में प्रवीणता रखने वाले केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उद्योगों से चार व्यक्ति :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी अन्य अध्यक्ष / अधिकारियों को जिनका सहयोजन विशिष्ट मद के बारे में आवश्यक है, बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तथापि, विशेष आमंत्रिती को मत देने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

III (i) कुल–सचिव शिक्षा परिषद् का सदस्य सचिव होगा ;

(ii) दो बटा पांच सदस्यों से गणपूर्ति होगी ;

(iii) अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय, पदेन सदस्यों से भिन्न, शिक्षा परिषद् के सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(iv) चुनाव का ढंग मतपत्र द्वारा साधारण बहुमत से होगा और चुनाव कुलपति द्वारा बनाए गये नियमों के अनुसार संचालित किया जायेगा ।

शिक्षा परिषद् की शक्तियां।

14. (1) शिक्षा परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीके, संस्थाओं में सहयोगी अध्यापन, अनुसंधान के मूल्यांकन अथवा शैक्षणिक स्तरों में सुधारों के संबंधों में निदेश देना ;

(ख) या तो अपनी निजी प्रेरणा पर या कुलाधिपति, कुलपति, कार्य परिषद् या किसी संकाय के निर्देश पर, सामान्य शिक्षा हित के मामले पर विचार करना तथा उन पर उचित कार्रवाई करना ;

(ग) कार्य परिषद् को अध्यापन पद सृजित करने तथा समाप्त करने की सिफारिश करना;

(घ) संकायों की सिफारिशों पर विभिन्न परीक्षाओं के लिये अध्ययन के पाठ्य–विवरण तथा पाठ्यक्रम विहित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के शिक्षा सम्बन्धी कृत्यों, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येता– वृत्तियों, अध्ययन–वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने बारे, फीसों की रियायतों, सामूहिक जीवन तथा उपस्थिति के सम्बन्ध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम बनाना ; और

(च) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना जो अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा शिक्षा परिषद् को प्रदान की जायें या समनुदेशित किये जायें।

(2) अध्ययन के पाठ्य–विवरणों, पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं के संचालन के सम्बन्ध में शिक्षा परिषद् के सभी निर्णय, जहां तक वे परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा उपबन्धित न हों, अंतिम होंगे।

15. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् :– वित्त समिति की संरचना।

(I) पदेन सदस्य–

(क) कुलपति (सभापति) ;

(ख) सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(ग) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव /अपर निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(घ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त निदेशक/लेखा अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो ;

(II) अन्य सदस्य–

(क) कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले वित्त में निपुणता रखने वाले दो बाह्य सदस्य ;

(ख) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले संकायों के दो अध्यक्ष ;

(ग) वित्त नियंत्रक।

(2) कुल–सचिव समिति का सदस्य सचिव होगा ।

(3) वित्त समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे।

(4) तीन सदस्यों से, जिनमें से कम से कम एक सदस्य सरकार का नामनिर्देशिती होगा, गणपूर्ति होगी ।

वित्त समिति के कृत्य तथा शक्तियां ।

16. (1) वित्त समिति लेखों की परीक्षा और व्यय के प्रस्तावों की छानबीन करेगी तथा कार्य परिषद् को वार्षिक बजट अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगी। वित्त समिति जो विश्वविद्यालयों के साधनों तथा आय के आधार पर वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करेगी, के पूर्व अनुमोदन के बिना, विश्वविद्यालय द्वारा बजट में से कोई व्यय उपगत नहीं किया जायेगा। इस प्रकार नियत सीमाओं से अधिक कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा उपगत नहीं किया जायेगा ।

(2) यह अध्यापन तथा अन्य पदों के सृजन की जांच करेगी तथा कार्य परिषद् को सिफारिश करेगी ।

(3) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा शासकीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष उस पर उसके विचार तथा टिप्पणी के लिये रखे जायेंगे तथा उसके बाद कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय के संकाय ।

17. निम्नलिखित संकाय होंगे :–

(i) इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संकाय ;

(ii) मानविकी तथा विज्ञान संकाय ;

(iii) प्रबन्धन अध्ययन संकाय ;

(iv) गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत तथा पर्यावरण–संबंधी विज्ञान संकाय ;

(v) ऐसे अन्य संकाय जो कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर गठित करे।

संकायों का गठन ।

18. (1) प्रत्येक संकाय में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) संकाय का अध्यक्ष (सभापति) ;

(ii) उस संकाय में सम्मिलित विभागों का सभापति ;

(iii) प्रत्येक विभाग से एक आचार्य ज्येष्ठता के आधार पर बारी–बारी से ;

(iv) संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग से एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक या उसके समकक्ष ज्येष्ठता के अनुसार बारी–बारी से ;

(v) उद्योग से ख्यातिप्राप्त एक विशेषज्ञ :

परन्तु जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, कुलपति अध्यक्ष की सिफारिश पर सदस्यों की संख्या बढ़ा सकता है।

(2) नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष के लिये पद धारण करेंगे:

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, किसी संकाय के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है ।

(3) कुल–सचिव प्रत्येक संकाय का सचिव होगा।

(4) प्रत्येक संकाय में सदस्यों के दो बटा पांच से गणपूर्ति होगी।

संकायों के अध्यक्ष ।

19. (1) प्रत्येक संकाय का एक अध्यक्ष होगा जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा। अध्यक्ष संकाय में सम्मिलित विभिन्न विभागों के आचार्यों में से बारी–बारी से नियुक्त किया जायेगा।

(2) अध्यक्ष जो तीन वर्ष की समयावधि के लिये पद धारण करेगा, के पद के साथ उपयुक्त पारिश्रमिक होगा।

(3) अध्यक्ष संकाय की बैठकें बुलाएगा तथा उनकी अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्यक्ष, उनमें अध्यापन के समन्वय के लिये तथा संकाय के विनिश्चयों के निष्पादन के लिये जिम्मेदार होगा।

(5) उसे संकाय की किसी समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने और विचार–विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा।

संकायों की शक्तियां ।

20. शिक्षा परिषद् के नियन्त्रणाधीन संकाय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी–

(क) संकाय को सौंपे गए विभागों में विश्वविद्यालय के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य में तालमेल लाना ;

(ख) अध्ययन बोर्ड से आवश्यक रिपोर्टों के बाद, विभिन्न परीक्षाओं के लिये शिक्षा परिषद् को पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन तथा पाठ्यक्रम की सिफारिश करना ;

(ग) विभागों से पद सृजन करने तथा उन्हें समाप्त करने के लिये रिपोर्ट प्राप्त करना तथा उन्हें शिक्षा परिषद् को ऐसी सिफारिशों के साथ भेजना जो वह उचित समझे ;

(घ) अध्यापन तथा परीक्षाओं के स्तरों में उन्नति के लिये स्कीमों के बारे में शिक्षा परिषद् से विचार–विमर्श करना तथा सुझाव देना ; और

(ङ) किसी अन्य मामले के संबंध में कार्रवाई करना जो उसे कुलपति, शिक्षा परिषद् या संकायाध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किया जाये।

विभागों के सभापति।

21. (1) प्रत्येक अध्यापन विभाग का एक सभापति होगा जो कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए, बारी–बारी से, नियुक्त किया जायेगा :

परन्तु—

(क) यदि किसी विभाग में दो या अधिक आचार्य हों, तो सभापतित्व केवल आचार्यों में से बारी–बारी से होगा ;

(ख) यदि किसी विभाग में केवल एक ही आचार्य हो, तो सभापतित्व, आचार्य तथा वरिष्ठतम उपाचार्य में से बारी–बारी से होगा ; परन्तु वह उपाचार्य के रूप में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो ;

(ग) यदि किसी विभाग में कोई आचार्य न हो, तो सभापतित्व पांच वर्ष के अनुभव सहित वरिष्ठतम दो उपाचार्यों में से बारी–बारी से होगा।

(2) किसी ऐसे विभाग की दशा में, जहां कोई अध्यापक सभापति के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं है, या ऐसे विभागों के लिये जहां संस्थाओं में केवल पूर्व स्नातक स्तर तक के लिये शिक्षा दी जाती है, संबंधित संकाय का अध्यक्ष ही उसका सभापति होगा ।

(3) यदि कोई वरिष्ठ व्यक्ति लम्बे अवकाश पर हो, तो अगला पात्र व्यक्ति विभाग के सभापति के रूप में नियुक्त किया जायेगा और यद्यपि वरिष्ठ व्यक्ति उस अवधि के दौरान अवकाश से वापस भी आ जाये, तो वह अपनी समयावधि पूरी होने तक इस रूप में निरन्तर बना रहेगा। तथापि, वरिष्ठ व्यक्ति, वर्तमान पदधारी की समयावधि की समाप्ति के बाद सभापति के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(4) यदि विभाग का सभापति, बीमारी के कारण, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से, अपने पद के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हो, तो जब तक कुलपति अन्यथा आदेश न करे, पद के कर्तव्य अगले पात्र व्यक्ति द्वारा निभाए जायेंगे।

(5) यदि कोई व्यक्ति सभापति के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार करता है या स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है, तो वह विभाग के सभापति के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक पात्र अध्यापकों में से चक्रानुक्रम चक्र के पूरा होने के बाद उसकी बारी फिर से न आ जाये।

(6) यदि कुलपति, यह आवश्यक समझे , तो वह इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुए कि वर्तमान सभापति की समयावधि अभी समाप्त नहीं हुई है, अगले पात्र व्यक्ति को सभापति के रूप में नियुक्त कर सकता है, उस दशा में वह मामले की रिपोर्ट कार्य परिषद् को उसकी अगली बैठक में देगा।

नियुक्तियां। 22. (1) अध्यापन पद पर सभी नियुक्तियां चयन समितियों की सिफारिशों पर कार्य परिषद् द्वारा की जायेंगी।

(2) प्रतिमास 8000 / – रुपये या से अधिक आरंभिक वेतन वाले गैर–अध्यापन पदों पर नियुक्तियां, स्थापना समिति की सिफारिश पर , कार्य परिषद् द्वारा की जाएंगी।

(3) प्रतिमास 7999 / – रुपये से अनधिक के आरंभिक वेतन वाले पदों के लिए, नियुक्तियां कुलपति द्वारा की जाएंगी।

(4) उपर्युक्त खण्ड (1), (2) और (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलपति, जहां वह आवश्यक समझे, यदि नियमित नियुक्ति करना संभव अथवा वांछनीय न हो, छह मास तक की अनधिक अवधि के लिये तदर्थ या अस्थायी नियुक्ति कर सकता है।

23. (1) किसी आचार्य,उपाचार्य या प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए, चयन समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे – चयन समितियां।

(i) कुलपति ;

(ii) संस्थाओं के अध्यक्ष ;

(iii) संकाय–अध्यक्ष ;

(iv) सम्बद्ध विभाग का सभापति, यदि वह आचार्य हो ;

(v) विभाग में वरिष्ठतम आचार्य सिवाय उसके जहां कुलपति द्वारा अन्यथा निर्णीत हो ;

(vi) आचार्य की दशा में तीन व्यक्ति तथा उपाचार्य तथा प्राध्यापक की दशा में दो व्यक्ति, जो उस विषय में जिससे आचार्य, उपाचार्य या प्राध्यापक सम्बन्धित होंगे, अपने विशेष ज्ञान, अथवा रुचि के आधार पर, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावली से जो विश्वविद्यालय से सम्बन्ध न रखते हों कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायें :

परन्तु कुलपति विशेष परिस्थितियों में नामावली में अधिक नाम जोड़ सकता है और इन नामों की रिपोर्ट शिक्षा परिषद् को उसकी अगली बैठक में करेगा।

(2) परिनियमों में यथा उपबन्धित, शिक्षा परिषद् द्वारा तैयार की गई नामावलियां और कुलपति द्वारा उनमें किये गए परिवर्धन, यदि कोई हों, कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे :

परन्तु यदि चयन समिति में उपस्थित होने के निमन्त्रण को स्वीकार करने के बाद भी विशेषज्ञों में से कोई एक उपस्थित होने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी :

परन्तु यह और कि चयन समिति की बैठक की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी यदि चयन समिति का कोई पदेन सदस्य बैठक में उपस्थित होने में असफल रहता है।

(3) कुलपति चयन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और कुल–सचिव उसके सचिव के रूप में कार्य करेगा। चयन समिति की बैठक कुलपति द्वारा, या उसके निर्देशों के अधीन बुलाई जायेगी ।

(4) चयन समिति उसे निर्दिष्ट की गई नियुक्तियों के बारे में विचार करेगी और इस सम्बन्ध में कार्य परिषद् को सिफारिश प्रस्तुत करेगी। यदि कार्य परिषद् समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ हो, तो वह इसके कारण अभिलिखित करेगी और मामला कुलाधिपति को अन्तिम आदेशों के लिये प्रस्तुत करेगी ।

स्थापना समिति ।

24. (1) कार्य परिषद् के नियंत्रणाधीन स्थापना समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) कुलपति;

(ii) संस्थाओं के अध्यक्ष ;

(iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कार्य परिषद् के दो सदस्य;

(iv) वित्त नियंत्रक ;

(v) कुल–सचिव;

(vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञ जब–जब आवश्यक समझे:

परन्तु जहां एक से अधिक विशेषज्ञ हों तथा उनमें से एक विशेषज्ञ बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण स्वीकार करने के बाद उसमें उपस्थित होने के समय आने में असफल रहता है, तो बैठक की कार्यवाहियां विधिमान्य होंगी ।

(2) कुलपति स्थापना समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा और कुल–सचिव समिति का सदस्य–सचिव होगा।

(3) कार्य परिषद् के नामनिर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष के लिए पद धारण करेंगे; बशर्ते कि कोई ऐसा सदस्य, जो कार्य परिषद् के सदस्य के रूप में नहीं रहता है, स्थापना समिति के सदस्य के रूप में भी नहीं रहेगा।

(4) समिति को प्रति मास 6500/– रुपए या उससे अधिक के आरम्भिक वेतन वाले गैर–अध्यापन पदों पर नियुक्तियों के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने की शक्ति होगी ।

व्याख्या.– ''नियुक्ति'' में विश्वविद्यालय पुस्तकालय तथा खेल विभाग में प्रति मास 8000/– रुपए या से अधिक आरम्भिक वेतन वाले पदों सहित सभी गैर–अध्यापन पदों में सीधी भर्ती के साथ–साथ पदोन्नति के पद भी शामिल होंगे।

योजना बोर्ड का गठन और कृत्य ।

25. (1) योजना बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(क) कुलपति ;

(ख) सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव/विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो ;

(ग) सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव/अपर निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(घ) निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा या कोई नामनिर्देशिती जो संयुक्त निदेशक की पदवी से नीचे का न हो ;

(ङ.) वित्त नियंत्रक;

(च) शिक्षा तथा उद्योग में उच्च जानकारी रखने वाले सात से अनधिक व्यक्ति, जो कुलपति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की समयावधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का नामनिर्देशिती;

(ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का एक निदेशक;

(ii) भारतीय प्रबन्धन संस्थान का एक निदेशक;

(iv) भारत के तकनीकी विश्वविद्यालयों का एक निदेशक;

(v) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नामनिर्देशिती;

(vi) शिक्षा तथा उद्योग में उच्च जानकारी रखने वाले पाँच व्यक्ति;

(छ) कुल–सचिव बोर्ड का सदस्य सचिव होगा।

(2) बोर्ड की सिफारिशों को, विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद, कार्यरूप दिया जायेगा ।

(3) यह विश्वविद्यालय में विशेष रूप से, शिक्षा और अनुसंधान के स्तर के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की योजना और विकास पर परामर्श देगा।

26. उपाधियां प्रदान करने के लिए तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह ऐसी रीति में किया जायेगा, जो कार्य परिषद् द्वारा समय–समय पर अध्यादेश के द्वारा अधिकथित की जाये : दीक्षान्त–समारोह ।

परन्तु सम्मानार्थ उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन रहते हुए होगा।

27. विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में कुलपति की सिफारिश पर शिक्षा परिषद् द्वारा सम्यक् रूप से सृजित विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग होंगे। विभाग ।

28. कुलपति की सिफारिश पर, शिक्षा परिषद् द्वारा अध्ययन विभाग विभिन्न संकायों को समनुदेशित किये जायेंगे। संकायों के अध्ययन विभाग का समनुदेशन ।

29. (1) किसी संकाय में सम्मिलित प्रत्येक विभाग में, दो अध्ययन बोर्ड होंगे, एक पूर्व स्नातक अध्ययन के लिये और दूसरा स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये होगा। अध्ययन बोर्ड ।

(2) पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) संस्था का अध्यक्ष ;

(ii) विभागों के सभापति;

(iii) कुलपति द्वारा, ज्येष्ठता के अनुसार, बारी–बारी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले, विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक आचार्य ;

(iv) कुलपति द्वारा,ज्येष्ठता के अनुसार, बारी–बारी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त एक उपाचार्य तथा एक प्राध्यापक :

परन्तु कोई भी ऐसा अध्यापक दो लगातार अवधियों के लिये नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कोई अध्यापक, जो संकाय के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, इस उप–खण्ड के अधीन नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा ;

(v) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप–खण्ड (v) के अधीन, पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है।

(3) स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे –

(i) संस्था का अध्यक्ष ;

(ii) विभाग का सभापति ;

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त सभी आचार्य ;

(iv) कुलपति द्वारा, ज्येष्ठता के अनुसार, बारी–बारी से नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले विश्वविद्यालय द्वारा विभाग में नियुक्त अथवा मान्यताप्राप्त दो उपाचार्य और दो प्राध्यापक ;

(v) स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव काल के आधार पर अवधारित की जाने वाली ज्येष्ठता के अनुसार, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले सम्बद्ध विषय में कम से कम दस वर्ष के अध्यापन अनुभव सहित संस्थाओं में स्नातकोत्तर विभागों के अध्यक्षों समेत दो अध्यापक बारी–बारी से :

परन्तु ऐसा सदस्य एक से अनधिक उसी संस्था से नहीं होगा ;

(vi) विभागाध्यक्ष की सिफारिश पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो बाहरी विशेषज्ञ :

परन्तु कार्य परिषद्, शिक्षा परिषद् के अनुरोध पर, उपर्युक्त उप–खण्ड (v) के अधीन स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है ।

(4) (i) पूर्व स्नातक अध्ययन बोर्ड, सम्बद्ध संकाय के माध्यम से पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए, विभिन्न विषयों के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्य–विवरणों तथा पाठ्य पुस्तकों के लिये शिक्षा परिषद् को सिफारिश करेगा और स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड, स्नातकोत्तर कक्षाओं और अनुसंधान उपाधियों के लिये पाठ्यक्रमों के संबंध में ऐसी सिफारिशें करेगा।

(ii) अध्ययन बोर्ड, पूर्व स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, जैसी भी स्थिति हो, के लिए, प्राश्निकों तथा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शिक्षा परिषद् को भी सिफारिश करेगा।

(iii) अध्ययन बोर्ड, ऐसे किसी अन्य मामले के बारे में विचार करेगा जो उन्हें संकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जाये। विभाग का सभापति, बोर्ड का सभापति होगा। पदेन–सदस्यों से भिन्न सदस्य, दो वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसकी पुस्तक या कोई अन्य प्रकाशन बोर्ड के समक्ष विचाराधीन हो, बोर्ड में सम्मिलित नहीं होगा।

30. विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, उपाधि–पत्र, प्रमाण–पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं वापस ली जा सकती हैं – उपाधि,उपाधि–पत्र इत्यादि की वापसी ।

(क) यदि सम्बन्धित व्यक्ति की उम्मीदवारी, अध्यादेश द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार रद्द कर दी गई हो, या परीक्षाफल रद्द कर दिया गया हो ; अथवा

(ख) यदि उम्मीदवार ने विश्वविद्यालय के दीक्षान्त–समारोह में दुर्व्यवहार किया हो ; परन्तु इस संदेह का अंतिम रूप से कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जायेगा कि क्या व्यक्ति ने इस परिनियम के अनुसार दुर्व्यवहार किया है ; अथवा

(ग) जब शिक्षा परिषद् के समक्ष यह दर्शाते हुये पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि कोई व्यक्ति जिसको विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि या उपाधि–पत्र आदि प्रदान किया गया था, ऐसे अपराध का सिद्धदोष पाया गया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, तो शिक्षा परिषद्, कार्य परिषद् को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी उपाधि या उपाधि–पत्र को रद्द कर दिया जाये।

अध्यापकों का अनुमोदन, मान्यता की वापसी ।

31. विश्वविद्यालय द्वारा किसी अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ली जा सकती है –

(क) यदि अध्यापक, अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रहता है ;

(ख) यदि कार्य परिषद् के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है कि अध्यापक ने ऐसा कार्य किया है, जो उनकी राय में गम्भीर अपराध है, कार्य परिषद् अध्यापक का अनुमोदन, मान्यता वापस ले सकती है।

उपदान, अनुग्रह–अनुदान इत्यादि।

32. विश्वविद्यालय, सरकार के पैटर्न पर, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को लाभ के लिये उपदान, अनुग्रह–अनुदान इत्यादि उपलब्ध करवायेगा।

अध्येता–वृत्ति, छात्रवृत्ति, पदक तथा पुरस्कार ।

33. प्रदान की जाने वाली अध्येता–वृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों की संख्या तथा मूल्य कार्य परिषद् द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या शिक्षा परिषद् या वित्त समिति की सिफारिशों पर अवधारित किया जायेगा।

सदस्यता की समयावधि की परिसीमा ।

34. (1) इन परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई व्यक्ति, जो अपनी सदस्यता की हैसियत में, किसी विशेष प्राधिकरण या निकाय अथवा किसी विशेष नियुक्ति के धारक के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, केवल तब तक पद धारण करेगा जब तक उस विशेष प्राधिकरण या निकाय का सदस्य या उस विशेष नियुक्ति का धारक, जैसी भी स्थिति हो, बना रहता है :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का ऐसा अध्यापक–सदस्य जो अपनी सेवा से त्यागपत्र दे देता है अथवा छह महीने अथवा इससे अधिक के लिये छुट्टी पर चला जाता है, तो वह सम्बद्ध निकाय का सदस्य नहीं रहेगा और कोई स्थानापन्न सदस्य नियुक्त किया जायेगा। यदि उसकी छुट्टी की अवधि छह महीने से कम हो, तो उसकी सदस्यता उसके लौटने तक अथवा छह महीने की अवधि की समाप्ति तक, इनमें से जो भी बाद में हो, स्थगित रखी जायेगी । जहां सदस्यता स्थगित रखी जाती है, वहां कोई स्थानापन्न सदस्य नियुक्त या निर्वाचित नहीं किया जायेगा।

(2) यदि कोई अध्यापक छह महीने अथवा इससे अधिक की अवधि के लिये छुट्टी पर हो, तो वह उस विशेष रिक्ति के लिये नामनिर्देशन या पुनः निर्वाचन के लिये पात्र नहीं होगा । तथापि, वह ऐसी रिक्ति पर, जो छुट्टी से उसके लौटने के बाद उत्पन्न हो, नामनिर्देशन या निर्वाचन के लिये पात्र होगा ।

सदस्यता इत्यादि की समाप्ति ।

35. इन परिनियमों अथवा अध्यादेशों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, जो नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का सिद्धदोष हो गया है अथवा जो किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था से अथवा विश्वविद्यालय से अथवा किसी भी प्रकार की शिक्षा संस्था से कदाचार के कारण पदच्युत कर दिया गया है, तो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति का सदस्य बनने या बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा। निलम्बन के अधीन किसी व्यक्ति को उसके निलम्बन की

अवधि के दौरान उपर्युक्त प्राधिकरणों या समितियों की किसी बैठक में बैठने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

सदस्यता के लिये निरर्हता ।

36. यदि कोई व्यक्ति शिक्षा परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के संबंध में उसकी ओर से किये गये किसी अनाचार के कारण विश्वविद्यालय के किसी कार्य से विवर्जित कर दिया गया हो, तो ऐसा व्यक्ति अपवर्जन रहने तक, विश्वविद्यालय के किसी निकाय या प्राधिकरण का सदस्य बनने अथवा बने रहने के लिये निरर्हित रहेगा ।

प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

37. (1) विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक तथा अन्य कर्मचारी कुलपति तथा संबंधित उच्च अधिकारियों के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए ऐसी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिन्हें कार्य परिषद् अध्यादेश, नियमों, विनियमों अथवा उसके द्वारा अपनाए गए संकल्पों द्वारा प्रत्यायोजित करे ।

(2) कुलाधिपति के अनुमोदन से कुलपति या कुल–सचिव, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी, अध्यापक या किसी अन्य कर्मचारी को ऐसी शक्तियां जो वह आवश्यक समझे प्रत्यायोजित कर सकता है जो उनमें परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निहित की गई हैं ।

नियुक्ति का विशेष ढंग ।

38. (1) परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझें, विश्वविद्यालय में आचार्य के पद को स्वीकार करने के लिए उच्च विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां तथा वृत्तिक योग्यताओं वाले किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकती है तथा ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को पद पर नियुक्त कर सकती है।

(2) कार्य परिषद् अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी अध्यापक या किसी अन्य शैक्षणिक अमले को नियुक्त कर सकती है।

पी० एल० आहुजा,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

46781—L.R.—H.G.P., Chd.